श्री कुलदीप नारायण,(भा0प्र0से0) जिलाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 22.12.2012 को सम्पन्न जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति :

1. श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. डा0 जवाहर सिंह, सिविल सर्जन, मुंगेर।
3. डा0 कृष्ण मोहन पूर्वे, अपर मुख्य चि0पदा0, मुंगेर।
4. डा0 श्रीनाथ, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर।
5. डा0 अताउर रहमान, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी,मुंगेर ।
6. डा0 वहावउद्दीन, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, मुंगेर।
7. मो0 नसीम जिला कार्यक्रम प्रबंधक,जिला स्वा0समिति, मुंगेर।
8. श्री पंकज कुमार, जिला लेखा प्रबंधक,जिला स्वा0समिति, मुंगेर।
9. श्री विकास कुमार, जिला योजना समन्वयक, जिला स्वा0समिति, मुंगेर।
10. डा0 निरंजन प्रसाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सदर प्रखंड, मुंगेर।
11. डा0 जगत प्रसाद, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जमालपुर।
12. डा0 एल0बी0गुप्ता, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, धरहरा।
13. डा0 बलराम प्रसाद सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बरियारपुर।
14. डा0 प्रेम कुमार प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हवेली खड़गपुर।
15. डा0 श्रीमति बिन्दु कुमारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तारापुर।
16. डा0 दिवाकर सिंह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, असरगंज।
17. डा0 उपेन्द्र कुमार,प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, संग्रामपुर।
18. डा0 अरूण कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, टेटिया बम्बर।
19. सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुंगेर।

सर्वप्रथम अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं बिन्दुवार प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। तदोपरान्त निम्न निर्देश दिये गये :-

➢ *मिजिल्स कार्यक्रम* :

समीक्षा के दौरान पाया गया कि मिजिल्स कार्यक्रम के अन्तर्गत कई निजी स्कूलों में शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त नही हुआ है जिसके कारण Urban क्षेत्र के आँकड़ो में कमी है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सम्बन्धित प्रधानाध्यापक से सम्पर्क कर शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित किया जाये। साथ ही डब्लूएच0ओ0 के RCA Finding देखने से स्पष्ट होता है कि कई विद्यालयों में उक्त योजना से अभी भी कई बच्चे वंचित है। इस हेतु सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रखंड स्तर पर टैलीशीट की समीक्षा कर पुनः छूटे हुए विद्यालयों पर कार्यक्रम का सफलतापूर्व संचालन सुनिश्चित किया जाये।

MEASLES CATCH UP COVERAGE– MUNGER

BLOCK	Target Children as per Form 14	Total Coverage	% Coverage
ASARGANJ	20275	14446	71.25
BARIARPUR	23862	16097	67.46
DHARHARA	28851	21578	74.79
JAMALPUR RURAL	22428	17985	80.19
JAMALPUR URBAN	22940	11617	50.64
KHARAGPUR	49054	33416	68.12
MUNGER SADAR	31219	22408	71.78
MUNGER URBAN	44861	21800	48.59
SANGRAMPUR	20132	16912	84.01
TARAPUR	24740	17036	68.86
TETIAH BAMBAR	18500	14814	80.08
TOTAL	**306862**	**208109**	**67.82**

As on 21/12/12

➢ *मातृ–शिशु ट्रेकिंग प्रणाली (MCTS)* –

जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा माह सितम्बर से नवम्बर 2012 तक का MCTS का ऑकड़ा प्रदर्शित किया गया, जिसपर डाटा ऑपरेटर के कार्यालय कार्यकलाप पर नाराजगी व्यक्त करते हुये सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि 31 दिसम्बर 2012 तक निश्चित रूप से वर्ष 2012 के ऑकड़ें की प्रविष्टि करायी जाये। साथ ही सिविल सर्जन को निदेश दिया गया कि MCTS में खराब Performance करने वाले डाटा ऑपरेटर को पदमुक्त करने की कार्रवाई की जाए।

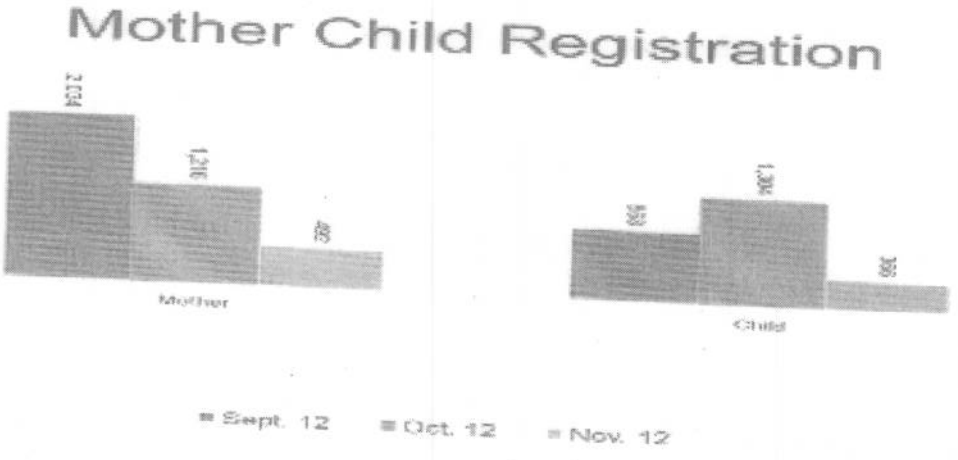

➢ *परिवार नियोजन पखवाड़ा* :

विदित हो कि मुंगेर जिलान्तर्गत परिवार नियोजन पखवाड़ा कार्यक्रम 10 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक मनाया जाना है। परन्तुक उक्त योजना की प्रगति पर लक्ष्य

के विरूद्ध काफी कम उपलब्धि होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि कार्य योजना तैयार कर शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की जाये। साथ ही 01 जनवरी से 28 फरवरी 2013 तक लगातार प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक आशा कार्यकर्त्ताओं की सहायता से लाभार्थियों को उत्प्रेरित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाये। तदालोक आयोजित होने वाले मेगा कैम्प के संचालन की पूर्ण जिम्मेवारी प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक की होगी।

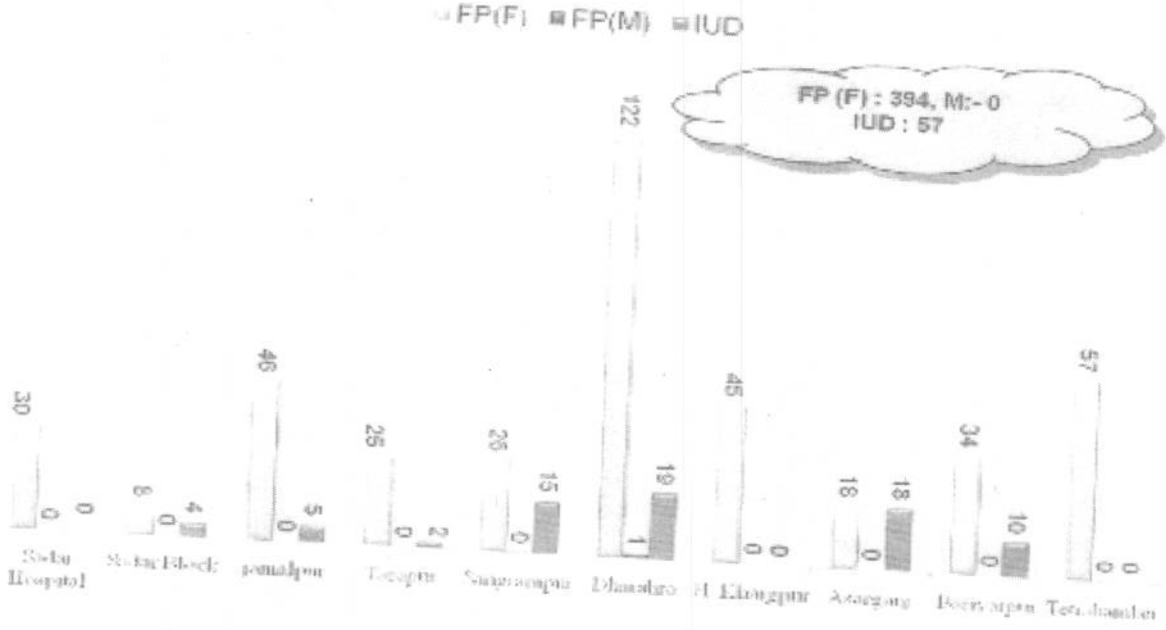

➢ रद्दीकरण :

मुंगेर जिले में काफी वर्षो पूर्व रखी गयी अनुपयोगी चिकित्सा उपकरणों, कागजातों इत्यादि की रद्दीकरण हेतु जिला कार्यक्रम प्रबंधक को निदेशित किया गया कि प्रखंडवार प्रशासनिक पदाधिकारी को नामित करने हेतु संचिका उपस्थापित किया जाये ताकि रद्दीकरण की प्रकिया पूरी की जा सके।

➢ सतरंगी चादर :

निदेश दिया गया कि सभी अस्पताल में सतरंगी चादर का उपयोग राज्य स्वास्थ्य समिति के मापदंड के अनुसार होना चाहिए। अगर किसी स्वास्थ्य संस्थान में चादर की आवश्यकता प्रतीत होती है तो त्वरित नियमानुकूल कय करने कार्रवाई की जाये।

➢ जननी बाल सुरक्षा योजना :

सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जननी बाल सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का बैकलॉग शून्य करने हेतु सभी संस्थानों द्वारा एक नोटिस जारी किया जाये कि लाभार्थी का बकाया प्रोत्साहन राशि एक महीना अन्दर नही प्राप्त करने पर उसे प्रोत्साहन राशि से वंचित रखा जायेगा एवं बैकलॉग शून्य माना जाएगा तथा 01.01 2013 से सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया जाये कि जननी बाल सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को बिना चेक लिए हुए अस्पताल से नही जाना है अन्यथा बाद में भुगतान नही किया जायेगा। उपाधीक्षक सदर अस्पताल एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सदर प्रखंड, स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रखंड लेखा के साथ समन्वयक स्थापित कर आशा का बकाया भुगतान 15 दिनो के अन्दर करने हेतु निदेशित किया गया एवं लाभार्थीयों के साथ आशा का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। प्रखंड लेखापाल की पूर्ण जिम्मेवारी है कि उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जननी बाल सुरक्षा योजना का बैकलॉग शून्य प्रतिवेदित हो।

Back log Status of JBSY

Sl	Name of PHC/Unit	18.5.12	21.12.12
1	Jamalpur	83	33
2	Sadar Block		......
3	Bariyarpur	59	0
4	Dharahra	39	0
5	H. Khargpur	350	72
6	Tetiyabamber	60	25
7	Sangrampur	38	8
8	Asarganj	30	0
9	Sadar Hospital		152
10	Tarapur	100	38
	Total	720	328

➢ ***सभी चिकित्सकों का मुख्यालय में आवासन*** :

इसी प्रकार प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, टेटियाबंबर ने अवगत कराया कि डॉ0 जवाहर सिंह जिनका पदस्थापन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगटा में है और वे वहाँ एकमात्र चिकित्सक है, जो प्रतिदिन अपने स्थायी निवास स्थान जमुई जिले से आते हैं जिसके कारण सप्ताह में मात्र दो दिन, यथा–सोमवार एवं शुक्रवार को स्वास्थ्य केन्द्र खुलता है। चूँकि उनका यह कृत्य क्षम्य नहीं हैं एवं इससे सिविल सर्जन, मुंगेर की प्रशासनिक अक्षमता प्रदर्शित होती है। अतः सिविल सर्जन को निदेश दिया गया कि तत्क्षण डॉ0 जवाहर सिंह का स्थानान्तरण अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगटा से हटाते हुये टेटियाबंबर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में करें तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगटा में किसी ऐसे चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करेंगे, जो मुख्यालय में निवास कर प्रतिदिन कार्य में सक्षम हो। साथ ही डॉ0 जवाहर सिंह के क्रियाकलापों की विस्तृत सूचना प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराने के लिए अधोहस्ताक्षरी के स्तर से यथाशीघ्र पत्र निर्गत किया जाये।

कतिपय कई और ऐसे चिकित्सक भी हैं जो अपना अस्थायी निवास स्वास्थ्य केन्द्र के आस-पास नहीं रखते हैं जो विभागीय निदेश का घोर उल्लंघन है। अतः सिविल सर्जन, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित कर उनके निवास स्थान का सत्यापन कर ही आगामी माह के वेतन की निकासी का आदेश देंगे तथा एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

➢ ***ओ०पी०डी० एवं आई०पी०डी०:***

समीक्षा के दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, धरहरा ने बताया कि डॉ० महेन्द्र कुमार विगत 10 नवम्बर, 2012 से लगातार एक माह तक अवकाश पर थे। परन्तु प्रथम द्रष्टया प्रतिवेदन देखने से स्पष्ट होता है कि डॉ० महेन्द्र कुमार के विगत एक माह से अनुपस्थित रहने के बावजूद उनके द्वारा 525 ओ०पी०डी० एवं 74 आई०पी०डी० किया गया है जिसकी तुलना अन्य चिकित्सों से करने पर उनका कार्य बेहतर परिलक्षित होता है जिससे स्पष्टतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धरहरा में किसी भी चिकित्सकों के बीच आपसी समन्वय स्थापित नहीं होना दर्शाता है।

समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त माह अक्टूबर, नवम्बर में ओ०पी०डी० की संख्या काफी कम प्रतिवेदित होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षोभ प्रकट करते हुये सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि ओ०पी०डी० में निरन्तर बढ़ोतरी हेतु सुदृढ़ व्यवस्था की जाये।

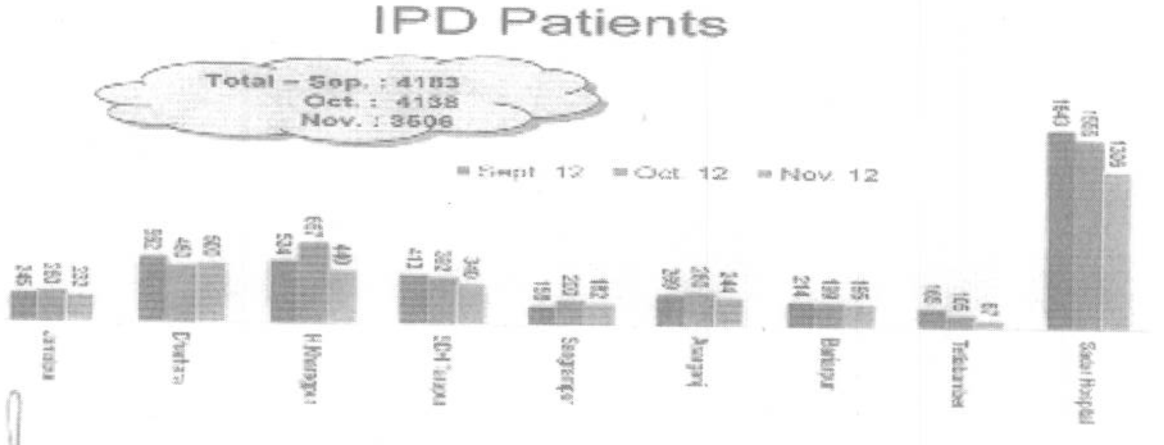

➢ ***अति०प्रा०स्वा०केन्द्र एवं स्वा०उपकेन्द्र में प्रसव सेवा :***

जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा बताया गया कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के निदेशानुसार मुंगेर में अति०प्रा०स्वा०केन्द्र एवं स्वा०उपकेन्द्र में प्रसव सेवा चालू करने हेतु राशि आवंटित किया गया है। इस संबंध में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि चयनित अति०प्रा०स्वा०केन्द्र एवं स्वा०उपकेन्द्र में प्रसव सेवा चालू करें एवं उक्त राशि का

उपयोग सुनिश्चित करे। यह ध्यान दिया जाये कि आवंटित राशि व्यय नही होने पर संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा प्रखंड लेखापाल पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

➢ ***चिकित्सक एवं ए०एन०एम०/कर्मचारी का मानदेय*** :

सिविल सर्जन,उपाधीक्षक सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि संविदाकमी का मानदेय प्रत्येक माह के 10 तारीख तक देना सुनिश्चित करेगें।

➢ ***स्वास्थ्य उपकेन्द्र*** :

सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि Untied fund में सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्र में रंग रोगन, B.P Machine, Waiting Machine, Digital (Baby) Waining Machine ,Waining Machine (Adult) लगवाना सुनिश्चित करेगें एवं सभी स्वास्थ्य प्रबंधक अपने सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्र का तीन-तीन फोटो सॉफ्ट कॉपी में सूची के साथ संलग्न कर जिला कार्यक्रम प्रबंधक को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेगें।

➢ ***VHSND :***

सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आपस में समन्वयक स्थापित कर VHSND को सफलतापूर्वक करें साथ ही इसका लगातार अनुश्रवण कर इससे संबंधित विहित प्रपत्र में प्रतिवेतन जिला स्वास्थ्य समिति मुंगेर को उपलब्ध करायें। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक VHSND पर B.P Machine एवं Weighing Machine उपलब्ध होना चाहिए साथ ही सभी लेखापाल को VHSND के अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारी को समयानुसार भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

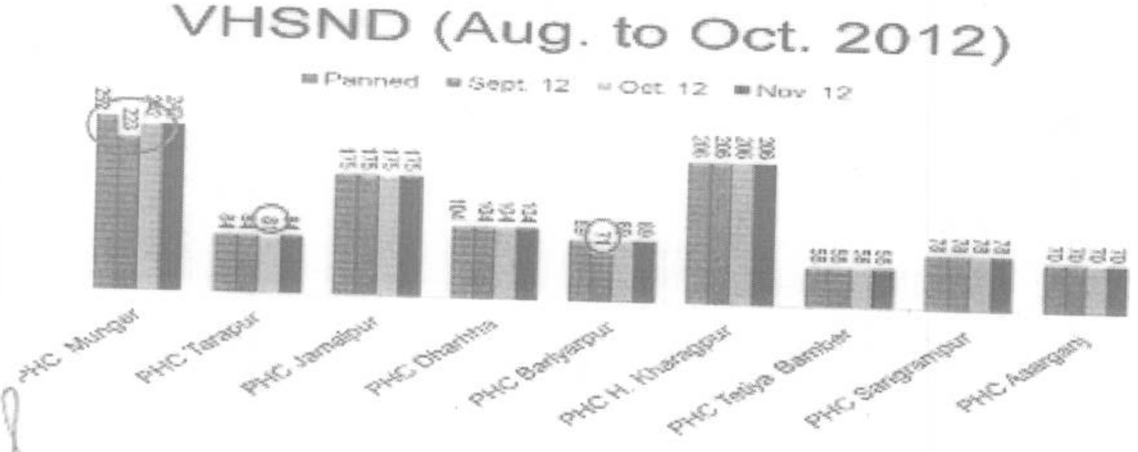

➢ ***VHSNC*** :

सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में सभी राज्य ग्रामवार राशि का अविलंब स्थानान्तरण करें साथ ही पूर्व में दिए गए अग्रिम का समायोजन करते हुये दो दिनों के अन्दर जिला लेखा प्रबंधक को उपयोगिता प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित करेगें अन्यथा संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड लेखापाल पर कड़ी कार्यवाही

की जाएगी। जिला लेखा प्रबंधक को निदेशित किया गया कि जिला स्वास्थ्य समिति के सभी सभी खाता में प्राप्त राशि का अद्यतन कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगें। सभी VHSNC प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को साप्ताहिक बैठक एवं राशि का उपयोग भी करना सुनिश्चित करेगें।

➢ ***गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली*** :

जिला कार्यकम प्रबधंक द्वारा बताया गया कि सभी प्राथमक स्वास्थ्य केन्द्रों/सदर अस्पताल में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली हेतु 2 लाख रूपये का आवंटन अग्रिम के रुप में दिया गया है जिसके संबंध में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य प्रबधंक को निदेशित किया गया अपने संस्थान में Gap Analysis पर खर्च करना सुनिश्चित करे। सभी संस्थान का Bio waste Managament का रजिस्ट्रेशन Pollution control Board में हो। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक द्वारा अस्पताल में आवंटित राशि का उपयोग नही किये पर नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर अस्पताल के ढांचागत व्यवस्था सुदृढ करें।

➢ **अन्यान्य** :

- अधोहस्ताक्षरी द्वारा सिविल सर्जन मुंगेर को निदेशित किया गया कि 102 एवं 108 ऐम्बूलेंस का भुगतान ससमय करेगे एवं उनके द्वारा समर्पित एकरारनामा के अनुकूल ही भुगतान करे।
- समीक्षा के कम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/पखंड लेखापाल को निदेशित किया गया कि सभी स्वास्थ्य संस्थान विभिन्न कार्यक्रमों यथा रोगी कल्याण समिति, Untied Fund, धरेलू प्रसव, स्वास्थ्य उपकेन्द्र का किराया VHSNC, Annual Maintains Grants अन्य का 60 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला स्वास्थ्य समिति मुंगेर को देते हुए पुनः राशि की मांग करे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्रवाही समाप्त की गयी।

ह० 12/01/13

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक ......59...... मुंगेर,दिनांक 15/01/13

प्रतिलिपि :सिविल सर्जन, मुंगेर/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर/ जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी,मुंगेर/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 12/01/13

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।